राष्ट्रीय सागर | झारखण्ड | गुरूवार | रांची, 13 नवंबर 2014

बांधों के उस पार क्यों ठहर गया है जीवन?

जसिन्ता केरकेट्टा

कोबांग डैम: 14 साल हो गए, पर नहीं हुआ उद्घाटन : सिमडेगा का कोबांग डैम, केलाघाघ डैम से काफी बड़ा है। कोबांग डैम का निर्माण 1988 में कांसजोर नदी पर बनना प्रारंभ हुआ था। 2000 तक यह पूरा हो चुका था। इस डैम की पूर्ण जल संचयन क्षमता 1262.20 हे.मी. है। इस डैम में मुख्यत: पकरटांड़ पंचायत के खास कोबांग गांव, लहरूटोली, गोठेंगटांगर, डूमरटोली, मोसोटोली, बिलहोरटोली और डावठादामर की जमीनें डूबी हैं। कोबांग गांव के मुखिया सुशील चंद्र कुल्लु बतलाते हैं कि डैम के आस-पास के गांवों में डैम से निकली दो नहरों से सिंचाई की सुविधा मिली है। इससे लोग अब साल में दो बार खेती कर पाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पानी के अनावश्यक बहाव से खेत दलदल बन गये हैं। इस कारण वे खेती के लायक नहीं रही हैं। 14 साल हो गए हैं और आज तक पुरानी दर से लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। सप्लाई पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोबांग गांव को छोड़ दूसरे गांवों में सिंचाई की ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां की खेती ठप्प है। मुख्य नहर का पक्कीकरण और शाखा नहरों की मरम्मत जरूरी है, जो नहीं हुआ है। जिनकी जमीनें डैम में गई हैं उनमें से अधिकांश को आज भी मुआवजा नहीं मिला है। न ही इस पर बनी तीन किलोमीटर की पुल का पक्कीकरण ही हुआ है। रोचक तथ्य यह भी है कि 14 साल बाद भी आज तक इसका विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है।

जरूरी योजनाएं हो जाती हैं अस्वीकृत : सिमडेगा मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर पकरटांड़ पंचायत का केंदुउडीह पूरी तरह विस्थापितों का गांव है। यहां की सोफिया डुंगडुंग बताती हैं कि खेती के लिए जमीनें तो नहीं हैं लेकिन सरकार ने डैम के समीप सिंचाई के लिए मशीनें लगा दी है। इससे आस-पास के विस्थापित गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इसका लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिलता है, जहां की जमीनें नहीं गई हैं। इस पानी से उस क्षेत्र के लोग अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। विस्थापित परिवारों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिला है। बीपीएल कार्ड हैं, लेकिन क्षेत्र के 183 बीपीएल कार्डधारियों में से ज्यादातर को इसका लाभ नहीं मिलता। केंदुउडीह गांव के मात्र दो बीपीएल कार्डधारियों को कुछ लाभ मिल रहा है। वार्ड पार्षद क्लेमेंट कछुआ से पूछने पर कि ऐसा क्यों है? वे कहते हैं कि डीलर के अनुसार सभी बीपीएल परिवारों के लिए उन्हें राशन नहीं मिलता। विभाग से आदेश नहीं है। इसलिए वे भी राशन देने में असमर्थ हैं। आदेश होगा तब वे देंगे। आदेश क्यों नहीं है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। वार्ड पार्षद कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के पास कोई ताकत नहीं है। जिन योजनाओं की जरूरत गांवों को है, सरकार वे योजनाओं लागू नहीं करती। अपने हिसाब से योजनाएं लाती हैं। जरूरत न होने पर भी उन्हें लेना मजबूरी है। सरकार की गलत रणनीति के कारण गांवों का सही विकास नहीं हो पा रहा है। यहां के लोगों को खेती के लिए उबड़-खाबड़ जमीनों के समतलीकरण, मेड़बंदी, पशुपालन जैसी योजनाएं चाहिए, लेकिन ऐसी योजनाओं के लिए आवेदन देने के बाद भी वे स्वीकृत नहीं हुई। बांध बनाने के पीछे सबसे बड़ा मंत्र लोगों के विकास का होता है, पर इन बांधों के पार लोगों का जीवन आगे बढ़ने और विकसित होने के बदले ठहरा हुआ क्यों है? लोगों की आंखों में यह एक प्रश्न आशुंओं के किसी सूखी लकीर की तरह जमी हुई है।

क्या मॉडल प्रखंड रोक सकेंगे पलायन?

आजीविका के साधनों की कमी और बेरोजगारी के कारण यहां की लड़कियां मुख्य रूप से दिल्ली के लिए पलायन करती हैं वहीं, युवा पुणे और राजस्थान की ओर जाते हैं। यह जिला राज्य में सबसे अधिक पलायन के लिए जाना जाता है। राज्य बनने के इतने वर्षो के बाद इस साल यहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरूआत हुई है। इसका लक्ष्य 2020 तक जिले के दो प्रखंड को मॉडल प्रखंड बनाने का है। ठेठईटांगर प्रखंड जिसमें 15 पंचायतें हैं और कोलेबिरा प्रखंड में इसके लिए काम शुरू हुआ है। इसके बाद आठ अन्य प्रखंडों में इन मॉडल प्रखंडों की महिलाएं प्रशिक्षण देने का काम करेंगी। उन आठ प्रखंडों में बानो, कुरडेग, बोल्बा, जलडेगा, केरसई, बांसजोर, पकरटांड़, सिमडेगा शामिल हैं। मॉडल प्रखंड बनाने के क्रम में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह तैयार किये जा रहे हैं। युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। इसके तहत लड़कों को कंप्यूटर, ड्राइविंग, राजमिस्त्री का और लड़कियों को नर्सिंग, ब्यूटी पार्लर, मोबाईल रिपेरिंग, टेलरिंग व कटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की 12 बैठकों के बाद उन्हें चक्रनिधि सहायता मिलेगी। 24 बैठकों के बाद कम्युनिटी इंवेस्टमेंट फंड के रूप में 50,000 रूपये दिये जायेंगे। ग्राम संगठन के कलस्टर फेडरेशन बनने के बाद एसएचजी समुह, ग्राम संगठन व कलस्टर फेडरेशन से आजीविका के नए साधन विकसित करने के लिए अधिक राशि की मांग कर सकते हैं। फेडरेशन को केंद्र से राशि मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से जुड़े ट्रेनिंग कम्युनिटी कॉर्डिनेटर योवेल प्रवीण सोरेंग ने इसकी जानकारी दी। देखना यह है कि क्या सरकार 2020 तक इस जिले में आजीविका के साधनों का इतना विकास कर पाती है, जो इसके दामन से पलायन का दाग मिटा सके और अपने जिले में ही आजीविका के साधन मुहैया कराने में सफल हो पाए।

समाप्त

सीएसडीएस द्वारा प्रदत इनक्लूसिव मीडिया यूएनडीपी फेलोशिप के तहत रिपोर्टिंग